न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)
पीठासीन अधिकारीः—कन्हैयालाल सोनगरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या—31 / 2019 दायरा दिनांकः 10.07.2019 GCMS CASE NO- 2019/00046

मघानाथ पुत्र शिरूराम कौम नाथ निवासी चाहड़सर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
—प्रार्थी

बनाम

1. मनफूल पुत्र पन्नालाल कौम जाट निवासी चाहड़सर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
2. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज)

—अप्रार्थीगण

शिकायत प्रार्थना पत्र नियम 14(4) अनअधिघोषित राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय नियम 1970

उपस्थितः—
1.श्री भगवान दत्त शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
3. पैरोकार राज

:: निर्णय :: दिनांकः—08/01/2025

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना—पत्र अंतर्गत नियम 14(4) अनअधिघोषित राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय नियम 1970 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी सं0 1 मनफूल पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी चाहड़सर द्वारा गांव चाहड़सर में सम्वत 2025 से 5 वर्ष हेतु आरजी काश्तकार पर दिनांक 20.05.1970 को रोही चाहड़सर के खसरा नं. 11 में 35 बीघा व खसरा नं. 56 में 25.00 बीघा कुल 60.00 बीघा का आरजी आवंटन करवाया गया है। वरवक्त आवंटन अप्रार्थी मनफूल द्वारा अपने द्वारा पूर्व में धारित भूमि वाके रोही चाहड़सर के खसरा नं. में 86.06 व खसरा नं. 31 की 42.17 बीघा कुल 128.18 बीघा में 860 हिस्सा में 1/2 हिस्सा अर्थात तकरीबन 22.00 बीघा का भूमि को छुपाकर आवंटन करवाया है, जिससे यह स्पष्ट है कि स्वयं की पूर्व भूमि छुपाकर आवंटन करवाया गया है, तयि छुपाकर व गलत तथ्य प्रस्तुत कर आवंटन करवाया है जो निरस्ती योग्य है। इसके अतिरिक्त स्पष्ट रूप से परिवार में माता के नाम व पिता के नाम की खातेदारी भूमि को छुपकार आवंटन प्रश्नगत 60.00 बीघा का अप्रार्थी नं. 01 द्वारा करवाया गया है माता के नाम मु. राजा देवी के नाम 736 हिस्सा रोही चाहड़सर के खसरा नं. 19 व 26 की 110.07 बीघा में 37.00 बीघा के करीब छिपाकर व पिता के नाम की चक 37 एलएनपी तहसील पदमपुर की 12.10 बीघा में भी स्वयं का हिस्सा का छुपाकर अंकन गलत रूप से करवाया है। अप्राथी संख्या 01 कतई आवंटन का पात्र नपहीं था फिर भ्झी सरकार को धोखा देकर आवंटन करवा लिया है अप्रार्थी के पास भूमि सीलिंग सीमा से भी अधिक है जो कि इस आधार पर भी सम्वत 2025 में करवाया गया आवंटन कतई नियम विरूद्ध है, अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा स्पष्ट रूप से धोखा देकर आवंटन प्राप्त किया है जों कि निरस्ती योग्य है। आवंटन के समय स्वयं एवं परिवार से आने योग्य संभावित हिस्से की आवंटन चाहने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणा की जानी आवश्यक है। भविष्य में इसकी जानकारी प्राप्त होने पर आवंटन आरजी निरस्ती के है। मूल रूप से वर्ष 1970 में आवंटन नियम 1957 के अन्तर्गत किया जिसे बाद में आवंटन नियम 1970 में विलाचित कर आवंटन नियम 1970 में अनुकूल किये गये आवंटन को वैध माना गया जिनके विरूद्ध आवंटन पूर्व रूप से साबित है अतः निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 को किया गया आवंटन रोही चाहड़सर के खसरा नं. 11 में 35 बीघा व खसरा नं. 56 में 25.00 बीघा कुल 60.00 बीघा खातेदारी भूमि जो अप्रार्थी की है, उसे निरस्त किया जावे व आरजी काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2025.02.03 12:51:12 IST
Reason: Self Attested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

निरस्ती खातेदारी स्वयंमेव निरस्ती की जाकर उक्त भूमि को रकबा राज अंकित किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भगवान दत्त हाजिर हुए। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा एवं अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि शिकायत प्रार्थना–पत्र मीमों में अंकित तथ्य एवं शिकायत को साबित करने वाले दस्तावेजात ही मेरी बहस है।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र पर जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन कि अप्रार्थी ने आवंटन के समय कोई भी तथ्य छुपाए नहीं है, तथा आवंटन आज से 50 वर्ष पुराना है तथा 1970 के आवंटन के विरूद्ध 50 वर्षो बाद शिकायत करना पूर्णतया रंजिश वश होना साबित है तथा अस्थाई आवंटन भी 60.00 बीघा की बजाय केवल 39.00 बीघा ही हुआ है। अप्रार्थी के पास अस्थाई आवंटन के समय 1.00 बीघा भी जमीन भी नहीं थी। अप्रार्थी को केवल 60.00 बीघा रकबा अस्थाई आवंटन हुआ था। अप्रार्थी इस रोही में सिलिंग सीमा तक रकबा आवंटन व खातेदारी प्राप्त करने का हकदार था तथा अप्रार्थी ने कोई रकबा छिपाया नहीं है। इसके अलावा इस रोही चाहड़सर जो कि आउट ऑफ जोन है तथा अस्थाई आवंटन के समय तमाम तथ्य की जांच करके टीसी आवंटन हुआ तथा आवंटन के पश्चात खातेदारी अधिकार भी आवंटन की तमाम शर्तो की पालना करने पर जारी हुये थे। खातेदारी अधिकार जारी होने के बाद तथा आवंटन के 50 वर्षो बाद यह शिकायत पेश करना पूर्णतया मनगढंत है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ने आगे निवेदन किया कि उक्त अस्थाई आवंटन के समय अप्रार्थी के पास कोई खातेदारी या गैर खातेदारी रकबा नहीं था उक्त आवंटन के पश्चात ही अप्रार्थी ने इस रकबा के अलावा अन्य रकबा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद किया था। प्रार्थी ने माता का रकबा दर्शाया है जबकि उस समय अप्रार्थी की माता के नाम कोई रकबा नहीं था व हिन्दु विधि के अनुसार हिन्दु नारी को प्राप्त रकबा में उसके पुत्र/पुत्रियों का कोई हक नहीं होता व हिन्दु महिला उस रकबा की आंतयतिक स्वामी होती है तथा माता व पिता के रकबा में से अप्रार्थी को कोई रकबा प्राप्त नहीं हुआ तथा स्वअर्जित रकबा में पुत्र/पुत्रियों का कोई हक नहीं बनता है इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है। रकबा के खातेदारी होने के बाद श्रीमान न्यायालय को खातेदारी खारिज करने का अधिकार नहीं है। उक्त रकबा का आवंटन पूर्णतया विधिसम्मत है तथा इस रकबा को बैचान किये ही अरसादराज हो गया तथाा आवंटन भी केवल 60.00 बीघा था तथा खातेदारी होने के बाद खारिज नहीं किया जा सकता। अतः निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र पूर्णतया झूठा व मनगढंत होने से खारिज किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 2 पैरोकार राज ने दौराने बहस राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित करने हेतु निवेदन किया।

शिकायत प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से अध्यन किया। पत्रावली के अवलोकन से अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार के कोई तथ्य टीसी आवंटन के समय एवं आवंटन के पश्चात छुपाया जाना साबित नहीं होता। शिकातकर्ता द्वारा ऐसे कोई ठोस साक्ष्य भी पेश नहीं किये जिससे शिकायत की पुष्टि हो सके। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन पाये जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने [illegible] किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरतगढ़ को पालनार्थ/आवश्यक का[illegible]ही [illegible] भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले [illegible] में [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanhaiya Lal Songara
Date: 2026.02.03 12:51:12 IST
Reason: SelfAttested

8-1-26

(कन्हैया लाल सोनगरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner